

विपणन सहायता योजना

(Marketing Assistance Scheme)

इस योजना के तहत् व्यक्तिगत् शिल्पकारों SHG समूहों एवं NMDFC के लाभार्थियों को लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पादों के विपणन (Marketing) और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	मापदंड (Parameters)	
1	सांकेतिक स्टॉल की दरें	A. वर्गीकृत शहरों महानगर एवं राज्य की राजधानियों के लिए 22,000/-₹ per stall B. वर्गीकृत जिला मुख्यालय के लिए 18,000/-₹ per stall C. वर्गीकृत अन्य शहर के लिए 14,000/-₹ per stall
2	यात्रा भत्ता	द्वितीय श्रेणी के शयनयान/सबसे छोटे मार्ग से बस का किराया देय है। A. वर्गीकृत शहर के लिए 700/-₹ B. वर्गीकृत जिला मुख्यालय के लिए 600/-₹ C. वर्गीकृत अन्य शहर के लिए 500/-₹
3	निर्धारित मैंहगाई भत्ता केवल एक कारीगर/SHG सदस्य	60 स्थानीय कारीगर/लाभार्थी 20 राज्य के बाहर कारीगर/लाभार्थी
4	प्रतिभागियों की संख्या	40 स्थल
5	प्रदर्शनी में स्थलों की संख्या	
6	प्रदर्शनी की अवधि	अधिकतम 15 दिन